अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

शम्भूदयाल वगै0 बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए — मु0नं0– 68 /2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2024	प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0आर0एक्ट प्रार्थीगण स्वंय द्वारा पेश किया गया। प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 338 रकबा 0.5100 है0 एवं खसरा नम्बर 968/362 रकबा 0.0900 है0 वाके ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2024 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढी बाबत आवेदन किया गया है। पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 338 रकबा 0.5100 है0 एवं खसरा नम्बर 968/362 रकबा 0.0900 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	